



कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

नोटिस का तामिला नहीं कराया जा सका है। चौकीदार राजेन्द्र पासवान के द्वारा लिखित में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्रामीणों से पुछ ताछ करने पर उनके द्वारा बतलाया गया है कि इस नाम का कोई ब्यक्ति इस गांव में निवास नहीं करता है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मडवा, थाना नं० 340, खाता सं० 99, खेसरा सं० —, रकबा 4.55 से संबंधित जमाबंदी रैयत तौहिर खलीफा पिता सालादीन मिश्रा के नाम से ग्राम मडवा में ना तो ऑफलाईन और ना ही ऑनलाईन पंजी-2 में कोई जमाबंदी संधारित है। अतः उक्त वाद बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत चलने योग्य नहीं है। अतः इसे समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अंचल पदाधिकारी
उत्तरपुर

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार एवं दमरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
मोहम्मद खलीफा	गडवा	240	99	-	4.55	मि. (मिल. प्र. ग्रामि.)	-
श. साहानी गिरी							

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- घरती

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- दर्ज नहीं है

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मों का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :- दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये से कम या इससे अधिक) :- बचल पदाधिकारी

उत्तरपुर

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वाखिल रिटर्न से :-

अंचल अधीनस्थ
उपायुक्त-
पलामू जिला

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) वाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-58 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

नहीं

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड -बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

नाद अभिलेख सं. 383/2011-12 (अर्थात् चार 4h) BLR Act 1950 के तहत संपत्ति अधिनियम नोटिस नामित अंचल अधीनस्थ के चौकिसार से आई गई अडे डाटा प्रविष्टि किया गया कि नोटिस में दर्ज भूमि के संबंध में उस आग के अधिकार जनता डाटा बताया गया कि इस नाम का कोई व्यक्ति अभी वहां पर निवास नहीं किया है और न ही इस भूमि पर अभी जोत खेद रहा है। गत सर्वे खसियात के अनुसार भूमि और भूजला खाने की है। नोटिस में दर्ज भूमि का मांग न तो आन (आर्नि-पोरक) पर दर्ज है और न ही आन (आर्नि) मांग पंजी में जीर्णोद्धार अवस्था में होने के कारण मांग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अतः इसी स्थिति में इस नाद पर 4(h) की धरणा के अलावा अन्य उचित प्रति होता है। इस नाद की 4(h) की धरणा लागू होने की संभावना की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, नहीं पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी को खरफ करने की अनुशंसा किया जाता है।

मोहन
4

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

भूमि-सुधार उप समाहर्ता,
छत्तरपुर।

अनुमंडल पदा.,
छत्तरपुर।

अपर समाहर्ता,
पलामू।

उपायुक्त,
पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मोहिर खलीफा पिता शाफा दीन गियां
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या पृष्ठ सं: पर कायम है।

मौजा	धाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
अष्टवा	340	99	-	-

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में निर्धारित अवस्था में है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- जंगलदास गौड़
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- पंजी II में निर्धारित अवस्था में है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी II में निर्धारित अवस्था में है।
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :-
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
चाहू पंजी - II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

बंदर
उत्तर

अध्यापक, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

बाद अभिलेख सं० 383 / 20¹⁶⁻¹⁷ (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम लौहिर खर्माफा

पिता - खामादीन मिश्रा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा MSK थाना नं०.....
खाता सं० 99 खेसरा नं०..... रकबा 455 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०..... के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा
कर दी जायेगी।




अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।